



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239591  
CG-DL-E-12102022-239591

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4652]  
No. 4652]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

सं. 17/2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मद हतु आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 4862(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मद की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है—

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताज़ा अथवा प्रशीतित: अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2023 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है।

2. अधिसूचना का प्रभाव: भूटान से दिनांक 30 जून, 2023 तक आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के अंतर्गत आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/02/एम-17/पीसी-2(ए)/ई-3200]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2022

**No. 17/2015-2020**

**Subject : Amendment of import policy conditions for item under Exim code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).**

**S.O. 4862(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy conditions of item under Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) as follows -

ITC code (HS)	Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
0701 90 00	Potatoes, fresh or chilled -Other	Restricted	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 30th June, 2022	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 30th June, 2023

**Effect of the Notification:** Import of Potatoes under ITC(HS) Code 0701 90 00, is allowed from Bhutan without Import License up to 30<sup>th</sup> June 2023.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/02/AM-17/PC-2(A)/E-3200]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.